संoसंo-एम-4-28/2025....8699......../विo

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक–06-08-2025

विषयः– राज्य सरकार के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड की अनुमान्यता एवं उसके क्रय के लिए प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की अधिसीमा के संबंध में ।

राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं राज्य में ई–गवर्नेन्स के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी कोषागारों एवं मुख्यालय में कार्यरत बिहार लेखा सेवा (सम्प्रति बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) के पदाधिकारियों को एक–एक लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्णय वित्त विभागीय पत्र संख्या ज्ञापांक–3281 दिनांक–26.04.2016 द्वारा लिया गया था। संदर्भित पत्र द्वारा उक्त लैपटॉप (सॉफ्टवेयर एवं संबंधित Accessories के साथ) क्रय के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि ₹60,000/– निर्धारित थी ।

2. राज्य सरकार के कार्यों में नवीनतम प्रौद्यीगिकी के उपयोग की अपरिहार्यता, वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विविध कार्यों के संपादन की प्रकृति में परिवर्तन, एवं कार्य में पारदर्शिता बनाये रखने तथा साईबर सुरक्षा इत्यादि को दृष्टिपथ में रखते हुये यह आवश्यक है कि वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु अद्यतन प्रौद्यौगिकी युक्त लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड का उपयोग किया जाय ।

3. अतएव सरकारी कार्य में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड (सॉफ्टवेयर एवं संबंधित Accessories के साथ) की अनुमान्यता प्रदान करते हुये इसके क्रय के लिए प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की अधिसीमा ₹85,000/– निर्धारित की जाती है। क्रय सामग्री के बीमा के लिए राशि की अनुमान्यता नहीं होगी ।

4. नवीनतम Configuration का लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड एवं संबंधित Accessories पदाधिकारी द्वारा स्वयं क्रय की जायेगी तथा इस संबंध में विपत्र संलग्न करते हुये इस आशय का स्व–घोषणा पत्र वित्त विभाग को समर्पित करना होगा(प्रति संलग्न) । इस स्व–घोषणा पत्र के आलोक मे ही राशि की प्रतिपूर्ति/आवंटन की जायेगी ।

5. लैपटॉप को अपग्रेड करने एवं रख–रखाव की संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की ही होगी । इसका उपयोग पूर्णकालिक तौर पर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा । यदि किसी पदाधिकारी को अन्य स्त्रोत से यह सुविधा अनुमान्य हो तो ऐसी स्थिति में एक ही स्त्रोत से संदर्भित सुविधा अनुमान्य होगी ।

6. सामग्री के Depreciation एवं प्रतिस्थापन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश प्रभावी होंगे ।

7. कोषागारों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिये राशि का व्यय मांग संख्या–12 के अधीन मुख्य शीर्ष–2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन, उप शीर्ष–00, लघु शीर्ष 097–खजाना स्थापना, उपशीर्ष 0001–कोषागार एवं अन्य उप कोषागार, विपत्र कोड–12–2054–00–097–0001 के विषय शीर्ष–5201 मशीनें एवं उपस्कर में प्रावधानित राशि से तथा अन्य विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए राशि का व्यय मांग सं0–12 के अधीन मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, उप शीर्ष–00, लघु शीर्ष 090–सचिवालय, उपशीर्ष 0008–वित्त विभाग, विपत्र कोड–12–2052–090–0008 के विषय शीर्ष–5201 मशीनें एवं उपस्कर में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा ।

8. प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/8/15

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः— एम—4—28 / 2025—8699 / वि०, पटना, दिनांक—06-8-2025

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

6/8

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः—एम—4—28 / 2025—8699 / वि०, पटना, दिनांक—06-08-2025

प्रतिलिपिः—सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

6/8/25

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः—एम—4—28 / 2025—8699 / वि०, पटना, दिनांक—06-08-2025

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी / बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

6/8/25

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः— एम—4—28 / 2025—8699 / वि०, पटना, दिनांक—06-08-2025

प्रतिलिपिः—सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

6/8/25

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः— एम—4—28 / 2025—8699 / वि०, पटना, दिनांक—06-08-2025

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

6/8/25

प्रधान सचिव ।

लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड क्रय से संबंधित स्व–घोषणा पत्र

1. मैं.................................बि०वि०प्र०से०, पदनाम–..................वर्तमान पदस्थापन –............ ......नियुक्ति का वर्ष..........................बैच................कोटि क्रमांक.. ....यह घोषणा करती/करता हूँ कि मैंने वित्त विभाग के संकल्प सं0–..............दिनांक–..............................के आलोक में लैपटॉप/ टैबलेट/ आईपैड (एसेसरीज सहित) क्रय किया है, जिसकी कुल लागत ₹......................../– (.................................रूपये) है।
2. क्रय किए गए लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड का विपत्र मेरे नाम से है। मूल विपत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
3. मेरी जन्म तिथि–..............................है। मेरी उम्र 57 वर्ष से कम है। लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड के क्रय की तिथि को मेरी आयु................वर्ष..............माह...........है।
4. मेरे द्वारा किसी अन्य स्त्रोत से अथवा वित्त विभाग से लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड क्रय हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं की गयी है।
5. मेरे द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड को सेवानिवृत्ति के समय अनिवार्य रूप से रिटेन किया जायेगा एवं सेवानिवृत्ति के तिथि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ह्रास दर के आधार पर लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड की प्रतिपूरित राशि का अनुमान्य Depreciation Cost की राशि राजकोष में जमा कर इसकी सूचना अपने कार्यालय एवं विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
6. वित्त विभाग के संकल्प–..............दिनांक–.................के आलोक में कुल ₹........../– (..........................रूपये) मेरे निम्न बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाए :–

खाताधारक का नाम	
खाता संख्या	
बैंक का नाम	
शाखा	
IFSC Code	

स्थानः–......................
तिथिः–...........................

हस्ताक्षर
नाम..
पदनाम.................................

नोटः–सभी कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से सूचना अंकित की जाए एवं जो लागू नहीं हो उसे काट दें।